न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 64/16 निर्णय दिनांकः 30-10-17

1. जमान पुत्र रहमतु खॉ(फौत)
2. फैजा पत्नी जमान
3. हलीमा पुत्र/पुत्रिया जमान जाति मुसलमान निवासी चक
4. बखेखॉं 4 केएचएम गंगाजली तहसील पूगल जिला बीकानेर
5. जुबेरा
6. जुलेखॉ
7. जैनब
8. इस्माईल

अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला
2. कुन्ता पत्नि फूसाराम जाति जाट निवासी चक 4 केएचएम गंगाजली तहसील पूगल जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28—03—1988
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 28—03—1988 जिसके द्वारा अपीलांट को दिनांक 18—03—1988 को किया गया आवंटन पुनः रेस्पोडेन्ट को आवंटित की गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 4 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 136/49 के किला नम्बर 17, 23, 24 की 3 बीघा कमाण्ड भूमि बतौर स्मालपेच में दिनांक 18–03–1988 को आवंटन की गई थी। जिसकी प्रथम किश्त की राशि जिसे जी.ए. 55 रसीद नं. 62/296204 दिनांक 18–03–188 से अपीलांट द्वारा जमा करवा दी गई। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज किये बिना उक्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 16–11–1988 को कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया उक्त आवंटन पश्चातवर्ती आवंटन है। जो निरस्त योग्य है।

अपीलांट द्वारा उक्त आदेश को माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती देने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए अपीलांट को किया गया आवंटन बहाल रखा गया व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आंवटन निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी करने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि ऐसे डबल आवंटन की स्थिति में पूर्व में किये गये आवंटन को बहाल रखा जाना न्यायोचित है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट का पूर्व में किया गया आवंटन बहाल रखा जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–11–1988 के विरूद्व

अपील दिनांक 25—06—1996 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण क समय धारा 5 मियांद प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आगे बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 16—11—1988 को आराजी जैर का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आवंटन के बाद समस्त राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को इस आधार पर आवंटन किया गया था कि रेस्पोडेन्ट की उक्त मुरब्बे में खातेदारी भूमि स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा स्मालपेच में उसी मुरब्बे की भूमि आवंटन कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन आदेश की पालना में निधारित कीमत से दुगनी कीमत राशि 17,500/— जमा करवाई जा चुकी है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया बहाल रखते हुए अपीलांट का आवंटन खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—11—1988 के विरूद्व अपील दिनांक 25—06—1996 को पेश की गई है। चूंकि प्रकरण का निस्तारण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के दिशानिर्देशों के अनुसार दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर पारित किया जाना है। अतः अपील अंदर मियांद शुमार घोषित की जाती है।

(2) प्रकरण मे अपीलांट के प्रथम आवंटन को सही ठहराने व द्वितीय आवंटन को निरस्त करने हेतु न्यायालय हाजा के निर्णय को यह कह कर चुनौती दी गई कि पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस आधार को माननीय राजस्व मण्डल ने उचित मानते हुए सुनवाई का अवसर देते हुए अपील निर्णित करने के निर्देश दिये गये है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(3) हमने पक्षकारों को सुना व यह पाया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन वाके चक 4 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 136/49 के किला नम्बर 17, 23, 24 की 3 बीघा कमाण्ड भूमि बतौर स्मालपेच में दिनांक 18—03—1988 को आवंटन की गई थी। जिसका पट्टा भी जारी कर दिया व कब्जा भी अपीलांट को दे दिया गया। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की किश्तें भी जमा करवाई जा चुकी थी। तत्पश्चात् द्वितीय आदेश दिनांक 16—11—1988 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अयुक्तियुक्त रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05—06—1998 को पश्चात्वर्ती आवंटन मानकर निरस्त करने में कोई चूक नहीं की गई है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट का आवंटन आदेश दिनांक 28—03—1998 बहाल रखा जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दिनांक 16—11—1988 का आवंटन निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30-10-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर